

a Departmental Promotion Committee exists,  
that is its composition

(13)

Circumstances in which Union Public Service  
Commission is to be consulted in making recruitment

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee for  
considering confirmation of direct recruitment :—

Consultation with the Union Public Service Commission  
is necessary on each occasion.

1. Joint Secretary (Admn.), Ministry of Home  
Affairs

—Chairman

2. Director/Deputy Secretary (Admn.)

—Member

**Note :** The proceeding of the Departmental  
Promotion Committee relating to confirmation of  
a direct recruit shall be sent to the commission for  
approval. If however, these are not approved by  
the Commission a fresh meeting of the  
Departmental Promotion Committee to be presided  
over by the Chairman or a member of Union Public  
Service Commission shall be held.

[ F. No. A/12018/01/2010-Ad. V ]  
ARVIND MUKHERJEE, Under Secy.

### भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

**सा.का.नि. 231.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2010 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

